दिनांक 06.02.2020
अपरान्ह् 3:00 बजे

बैठक के कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक/2808/के.एस./2019 रायपुर, दिनांक 10.12.2019 के पत्रानुसार माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति की अध्यक्षता में दिनांक 18.10.2019 को विश्वविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा हेतु अयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा क्रमांक 04 विषय–विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के प्रत्यायन की स्थिति, ग्रेडिंग की जानकारी पर चर्चा अनुसार नैक मूल्यांकन हेतु अन्य विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए एक समिति गठित की गयी है। उक्त समिति की प्रथम बैठक आज दिनांक 06.02.2020 को अपरान्ह् 3:00 बजे संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुएः–

क.	समिति	उपस्थित सदस्यों के नाम
1.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर –**समन्वयक**	Dr. A.K. Gupta
2.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर–**सदस्य**	Dr. H.S. Hota
3.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर– **सदस्य**	Dr. Sharad Nema
4.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, संत गहिरागुरू विश्वविद्यालय सरगुजा, अंबिकापुर– **सदस्य**	Dr. Ashish Kumar
5.	अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद्, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग–**सदस्य**	Dr. Sumeet Agrawal

समिति के समन्वयक अधिष्ठता, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ने सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ की। सभी सदस्यों ने बैठक में अपने–अपने विश्वविद्यालय एवं अपने सम्बद्ध महाविद्यालयों की जानकारी प्रस्तुत की समग्र जानकारी निम्नानुसार हैः–

S.No.	Name of University (District Covered)	Total No. of Colleges			2(f)			12(B)			NAAC		
		Govt.	Pvt	Total	Govt.	Pvt.	Total	Govt.	Pvt.	Total	Govt.	Pvt.	Total
1	Pt. Ravishankar Shukla University Raipur (05)	56	87	**143**	33	15	**48**	31	12	**43**	13	9	**22**
2	Atal Bihari Vajpayee University Bilaspur (05)	62	128	**190**	22	12	**34**	19	12	**31**	17	16	**33**
3	Bastar Vishwavidyalaya Jagdalpur (07)	30	7	**37**	17	0	**17**	13	0	**13**	3	1	**4**
4	Sant Gahira Guru Vishwavidyalaya Sarguja Ambikapur (05)	46	28	**74**	25	4	**29**	11	1	**12**	6	1	**7**
5	Hemchand Yadav University Durg (05)	61	68	**129**	45	21	**66**	32	9	**41**	17	27	**44**
	Total	**255**	**318**	**573**	**142**	**52**	**194**	**106**	**34**	**140**	**56**	**54**	**110**

18/2/20

DIRECTOR,
College Development Council,
Pt. Ravishankar Shukla University,
RAIPUR. (C.G.)

समिति ने विस्तारपूर्वक चर्चा करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिएः–

1. समिति ने ऐसे सभी महाविद्यालयों जो कि पात्र है एवं जिन्होंने UGC 2(f) की सम्बद्धता पूर्ण नहीं की है वे निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सम्बद्ध विश्वविद्यालय के माध्यम से तत्काल प्रस्ताव को UGC प्रेषित करें।
2. ऐसे शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों जिन्हें UGC से 2(f) में सम्बद्धता प्राप्त है एवं 12(B) की पात्रता रखते हैं वे अपने–अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से UGC को 12(B) की सम्बद्धता हेतु आवेदन करने में सहयोग प्रदान किया जाए।
3. ऐसे सभी महाविद्यालय जो 12(B) के लिए योग्य हैं किन्तु उन्होंने अपने विश्वविद्यालय से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त नहीं की उन सभी महाविद्यालयों को तत्काल स्थायी सम्बद्धता की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु प्रेरित किया जाए। जिससे महाविद्यालयों को UGC से 12(B) की सम्बद्धता प्राप्त हो सके तथा समय–समय पर यू.जी.सी. द्वारा प्रदत्त "Financial Assistance to colleges" प्राप्त हो सके।
4. ऐसे सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय जो NAAC प्रत्यायन के लिए पात्र हैं किन्तु जिन्होंने इस संबंध में प्रयास प्रारंभ नहीं किए है उन्हें अपने सम्बद्ध विश्वविद्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हुए समुचित प्रयास किए जाए।
5. सभी विश्वविद्यालय अपने–अपने परिक्षेत्र के प्रत्येक जिले के अग्रणी महाविद्यालयों के सहयोग से जिला मुख्यालय में बैठक कर कार्यशाला के द्वारा महाविद्यालय प्राचार्य एवं NAAC प्रभारी को समुचित जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें।
6. सभी महाविद्यालयों को अपनी Effective Website Develop करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए की महाविद्यालय उक्त Website पर निरंतर जानकारी अद्यतन करें।
7. राज्य के ऐसे सभी Resource Persons जो NAAC peer team, UGC team व अन्य Regulatory Body की निरीक्षण समिति के सदस्य होते हैं की सूची तैयार करते हुए उनके सहयोग से महाविद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाए।
8. समय–समय पर विश्वविद्यालय मानव संसाधन विभाग एवं महाविद्यालय विकास परिषद् के माध्यम से नैक एवं यू.जी.सी. आदि की गतिविद्यियों से संबंधित Awareness Program चलाया जाना चाहिए जिसमें सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को अनिवार्यरूप से भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाए।
9. NAAC प्रत्यायन हेतु महाविद्यालयों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ IQAC, AQAR आदि को निर्धारित वेबसाईट में अपलोड करने एवं अपने महाविद्यालय के वेबसाईट पर भी अपलोड करने की जानकारी प्रदान करने में सहयोग प्रदान किया जाए।
10. IIQA, SSR के संबंध में AISHE Cell का सहयोग लिया जाए जिस पर प्रतिवर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय का Data Upload किया जाता है, जिससे Data Conflict न हो।
11. महाविद्यालयों को Student Satisfaction Survey (SSS) के लिए Google Form के उपयोग की जानकारी दी जाए। NAAC प्रत्यायन के लिए Times group के द्वारा तैयार किए गए Software के उपयोगिता की जानकारी ली जाए।
12. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को इन सभी प्रक्रियाओं के लिए वित्तीय संसाधन के लिए बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग को महाविद्यालयों को इस कार्य हेतु बजट उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद्
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर